



फर्द अहकाम

रामकिशन बनाम जगदीश

उप जिला

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 123/19

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	2/2/21	<p>पत्रावली आज्ञा पेश हुई। वकील जी दिनेश शर्मा के द्वारा उत्पत्त बनाया गया जो वही व प्रतिवादीगण के मध्य बर्तीनामा होना था जो मा. सांगनी पेशी पर बर्तीनामा पेश कर दुनो। पत्रावली वास्तु बर्तीनामा हेतु दिनांक 19/2/21 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्ती जिला-जयपुर </p>
	19/2/21	<p>पत्रावली पेश हुई। दफ्तर द्वारा 4 बोलोन्सा/कार्य समाप्त करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 16/4/21 को पेश हो।</p>
	16/4/21	<p>पत्रावली आज्ञा पेश हुई। वादी एवं वकीलवादी अनुपस्थित। बार-बार आज्ञा लगाई गई कि उपस्थित नहीं आना अंतिक आज्ञा न्यायालय हाजि के समय 4:45 PM पर लावावई गई ना ही तो वादी और ना ही वकीलवादी उपस्थित आये इसके ये पुष्ट होता है कि वादी एवं वकील वादी वादपत्र को अमूल्य। आगे पत्रावे हेतु कर्तव्य अच्युत नहीं है निहाय वादी का वाद अदक परबी डाकू हाजरी मे खासि किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होने पर दायित दफ्तर हो</p> <p>बिना आज्ञा दिनांक 16/4/21 को खुले न्यायालय एवं जरे इणलाठ लुगाया गया</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्ती जिला-जयपुर </p>